(रविन्द्र)

कार्यालय निदेशक, प्रारम्भिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमाक : शिविरा/प्रारं/शैक्षिक/एबी/3529/आधार/2018/ 18 दिनांक :19/07/18

जिला कलक्टर

विषय : राज्य के विधालयो मे 5 से 18 वर्ष तक के विधार्थियो के आधार कार्ड बनवाये जाने बाबत्।

– – – – –

महोदय,

उपर्यक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि केन्द्र सरकार की मंशा अनुसार छात्रवृति, मिड–डे मील, पाठ्यपुस्तक DBT योजना इत्यादि विभिन्न लाभों के Disbursal (वितरण) के लिए आधार को Identity के रूप मे उपयोग मे लिया जाता है। जिससे उक्त लाभों का वितरण पारदर्शिता के साथ कुशलतापूर्वक सही लाभार्थियों को किया जा सके, अतः आवश्यक है कि विधार्थियों का आधार नामांकन करवाया जाकर आधार नम्बर Generate करवाये जावें।

प्रत्येक जिले मे पदस्थापित Doit&c विभाग के ACP जो कि आधार नामांकन हेतु जिला स्तरीय नोडल अधिकारी है, जिन्हे Doit&c विभाग द्वारा विधालयो मे आधार नामांकन हेतु कैम्प आयोजित किये जाने के लिये पूर्व में भी विभाग द्वारा निर्देश जारी किये गये हैं। विभाग स्तर पर समस्त प्रारंम्भिक जिला शिक्षा अधिकाारियों को जिला स्तर ,पर नोडल अधिकारी एंव निदेशक, राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एंव प्रशिक्षण संस्थान,उदयपुर को राज्य नोडल अधिकारी नियुक्त किया हुआ है।

अतः राज्य के समस्त विधालयों के समस्त विधार्थियों के शत प्रतिशत आधार नामांकन कराये जाने हेतु अपेक्षित आवश्यक कार्यवाही करवाने का श्रम करावें।

www.rajteachers.com

निदेशक
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर

प्रतिलिपि : निम्नांकित को सूचनार्थ, पालनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

(1) समस्त जि.शि.अ. प्रारं.शिक्षा को प्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि अपने अधीनस्थ समस्त विधालयो मे अध्ययनरत विधार्थियो के आधार नामांकन किये जाने बाबत् आवश्यक कार्यवाही की जावें एंव जिला कलक्टर महोदय से इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु व्यक्तिशः मिलकर आवश्यक सहायता/निर्देश प्राप्त करें।

उप निदेशक
प्रारंम्भिक शिक्षा राजस्थान,
बीकानेर